

शासन उप सचिव

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक संधार विभाग (ग्रुप-1) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राज. जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त विभागनायक, राजस्थान सरकार।
9. निदेशक, पर्यावरण/गोपालन विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर-राजस्थान राजपत्र से प्रकाशन हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि :- सर्वनाथ एवं आवश्यक कायदाही हेतु।

क्रमांक :- एक.वी. 3 () / निगी / गोपनसु / कुस / 2016 / PA-491-505 दिनांक :- 5-7-2016

शासन उप सचिव

(आर.डी.बैरा)

राजस्थान विधिया निरसन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्याक 35) हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के द्वारा गोपालन विभाग के "राजस्थान गौ सेवा आयोग अधिनियम, 1995" को निःरसित किया जा चुका है।

"राजस्थान गौ सेवा आयोग अधिनियम, 1995" से सम्बन्धित "राजस्थान गौ सेवा आयोग नियम, 1996 प्रचलित थे, जिनको तत्काल प्रभाव से निःरसित किया जाता है।

:: आदेश ::

क्रमांक :- एक.वी. 3 () / निगी / गोपनसु / कुस / 2016 / PA-490 दिनांक :- 5-7-2016

राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग